


संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, द्वितीय खण्ड, चौथी मंजिल, नया रायपुर (छ.ग.)

0771-2433001 0771-2433002

Website: cghorticulture.gov.in, E-mail: -dir.horti-cg@nic.in,



क. / उद्या. / स्था. / सी.भर्ती / 2017-18 **2428** रायपुर, दिनांक **05/07/2017**.

// सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन //

छ.ग. शासन कृषि विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क. एफ 846/666/2017/14-1 दिनांक 09.05.15 द्वारा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छ.ग. रायपुर के अधीन **ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी** के राज्य स्तरीय 348 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की प्राप्त अनुमति के परिपेक्ष्य में छ.ग. उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2012 के अनुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के बेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

1. परीक्षा की तिथि एवं समय – 13 अगस्त 2017 (रविवार)
अपराह्न 2.00 से 5.15 बजे तक
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 10.07.2017 (सोमवार)
3. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर आनलाईन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि – 24.07.2017 (सोमवार), रात्रि 11.59 बजे तक
4. परीक्षा शहर एवं कोड – अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर
5. परीक्षा शुल्क :- सामान्य वर्ग 350/-, अन्य पिछड़ा वर्ग – 250/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/निःशक्तजन – 200/-

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन+ग्रेड पे	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.वर्ग	शैक्षणिक योग्यता
1	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	5200-20200 ग्रेड पे- 2400	348	146	111	42	49	उद्यानिकी / कृषि / कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि।

आरक्षण तालिका :-

क्र.	वर्ग	मुक्त	महिला	निःशक्तजन	भू.पू.सैनिक	कुल
1	अनारक्षित	79	44	9	14	146
2	अ.ज.जा.	60	33	7	11	111
3	अ.जा.	23	13	2	4	42
4	अ.पि.व.	26	15	3	5	49
योग		188	105	21	34	348

निःशक्तजन में OA (एक हाथ), OL (एक पैर), LV (निम्न दृष्टि) एवं HH (श्रवण बाधित) ही आवेदन कर सकेंगे। निःशक्तजनों की कुल 21 रिक्तियों में से 7 पद अस्थि बाधित (OL= एक पैर, OA= एक हाथ) 7 पद श्रवण बाधित (HH), 7 पद दृष्टि बाधित (LV = निम्न दृष्टि) निःशक्तजनों के लिये आरक्षित है।

यह नियुक्तियों मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिट पिटि. क. (सी) 591/ 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन होंगी।

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

विस्तृत विज्ञापन, परीक्षा पाठ्यक्रम, व्यापम का परीक्षा संचालन, निर्देश व्यापम की बेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर उपलब्ध होगा।

(नरेन्द्र कुमार पाण्डेय)

भा.व.से.

संचालक


उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छ.ग. नया रायपुर

(3)

- IX. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1-3 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- X. विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा एवं कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा द्वितीय संतान 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात पैदा हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।
8. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध) नियम 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
9. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा एवं पदस्थापना तत्समय रिक्त पदों के आधार पर की जावेगी पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
10. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।
12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षावधि पर की जावेगी।
13. लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए पृथक से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जायेगा।
14. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति उपरांत नियमानुसार छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के अध्याय 6 के नियम 42 अंतर्गत प्रावधानित अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्तों के अनुसार अध्ययन अवकाश की पात्रता पूर्ण होने के पूर्व किसी प्रकार का अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और न ही वे ऐसे अवकाश की मांग करेंगे। तदनुसार सहमति/शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा।

पाठ्यक्रम :- पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर उपलब्ध होगा।


संचालक

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छ.ग. नया रायपुर

नियम एवं शर्त :-

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।
2. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, पुष्टि हेतु चयनित उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 200 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी
4. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्मतिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन संभव नहीं होगा।
6. **आयु सीमा :-** छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23.01.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को कैलण्डर वर्ष 2018 तक बढ़ाई गई है। अतः अभ्यर्थी की आयु दि. 01.01.2018 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

- I. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
- II. ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- III. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।
- IV. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
- V. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- VI. राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- VII. विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी, बशर्ते विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक हो, राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- VIII. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/ मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु 38 वर्ष होगी।